



# बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारांप्रधान कार्यालय, नियर बस स्टेप्ट-बारां-325205 (राजस्थान)

क्रमांक-फा.0/बानासवैक.प्र.कार्या./2024-25/केस-01/खाता-405115/ शाखा-तेलफैक्ट्री बारां/ (अनुलग्नक-री)

दिनांक-30.11.2024

## चल/अचल सम्पत्ति की विक्री / नीलामी करने हेतु विक्रय की उद्दोषणा/सूचना

(परिशिष्ट iv-A अचल सम्पत्ति के लिए धारा 8(6 का प्रावधान)

सर्वाधारण को सूचित किया जाता है कि ऋणी/संपत्ति नालिक श्री प्रदीप कुमार पाठेय पुत्र स्वर्णी रामाशीष पाठेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां द्वारा बारां नागरिक सहकारी बैंक लिंग बारां की शाखा तेल फैक्ट्री एरीया बारा जिला-बारां राजस्थान से स०लि० खाता 115 से ऋण ले रखा है। इनके जमानतदार/गारन्टर श्री देवकेशन नागर पुत्र श्री छोटूलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां, श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां है। इनके द्वारा बैंक का बकाया ऋण जमा नहीं करवाया गया, इस कारण इनकी बैंक में रहन अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए नोटिस वित्ती आसितयों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत चल/अचल आसितयों की विक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी विक्री सूचना/प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) और 8 (6) के परंतुके साथ पठित। आम जनता और खास तौर पर उदारकर्ता/बंधकर्ता और गारन्टर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति/संपत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका रचनात्मक/भौतिक कब्जा पंचागणों की उपरिधि में बारां नागरिक सहकारी बैंक लिंग बारां द्वारा सुरक्षित ऋणदाता/गारन्टर/पंचागणों के सम्बन्ध ले लिया गया है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जहाँ है, जैसा है" और जो है, जो कुछ भी सुरक्षित ऋणदाता/गारन्टर/पंचागणों के सम्बन्ध ले लिया गया है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जिसके पास भी है" के आधार पर बैंक/सार्वजनिक बोली के द्वारा नीलाम किया जायेगा। उदारकर्ता/बंधकर्ता/गारन्टर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आसित मूल्य/सार्वजनिक नीलामी तिथि और समय, बयान राशि और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है, के अनुसार की जावेगी। जो निम्नानुसार है तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्च चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा। नीलामी की शर्त बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेप्ट के पास बारां से सम्पत्ति कर प्राप्त की जा सकती है। एवं बैंक की वेबसाइट [www.bnbsb.co.in](http://www.bnbsb.co.in) में दिए लिंक पर भी देखे। आरक्षित मूल्य- 18.50 लाख रु०

क्र०	उदारकर्ता/बंधकर्ता की विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय/कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रु०) एवं आरक्षित मूल्य	गारन्टर/जमानतदार का नाम एवं पता
01	ऋणी/संपत्ति नालिक श्री प्रदीप कुमार पाठेय पुत्र स्वर्णी रामाशीष पाठेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां जिला बारां राजस्थान की अचल सम्पत्ति पिन - 325205 माल कल्याणपुरा खसरा न० - 280 मे प्लॉट स०-22 एवं नियर मकान अवशिष्ट पुरानी नाकोडा कालोनी तेल फैक्ट्री बारासाइंग 30x42=1260 वर्गफीट आवासीय संपत्ति जिसमे ग्राउण्ड पर छ. कमरे.एक रसोई,पटटी पोश, खुला चौक,जीना/सीढ़ियाँ एवं प्रथम तल पर तीन कमरे आर.सी.सी. खुली छत जिसका मोरोज दिनांक-04.01.2018कोवर्तुसीमा- पूर्व-प्लॉट न०-23, पारिघम- रास्ता, उत्तर- प्लॉट न०-21,दक्षिण-प्लॉट न०-35 दिनांक-30.11.2024 को पंचनामा अनुसार उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा	31.12.2024	12 बजे से सायाः 04 बजे तक	बैंक प्रधान कार्यालय भवन नियर बस स्टेप्ट बारां पर	(01) बकाया राशि- रु० 1347122.73 दिनांक-30.11.24 को एवं व्याज 12 प्रतिशत ता तरीख, वसूली खर्च 10 प्रतिशत तथा अन्य वसूली योग्य खर्च अतिरिक्त (02) आरक्षित मूल्य- 18.50 लाख रु०.	1.श्री देवकेशन नागर पुत्र श्री छोटूलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां म०-9001229250 2.श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां म०-9784847111
02	नीलामी की शर्त :- जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।					

- नीलामी की शर्त :- जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/-रु० रहेंगी, जो नीलामी दिनांक-31.12.2024 को दिन के 12 बजे तक नकद जमा करवानी होगी। उसके पश्चात् नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को आरक्षित मूल्य का 05 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानी होगी। धरोहर राशि नीलामी दिनांक-31.12.2024 को नीलामी समयावधि में बैंक के निम्न खाते में बोली लगाने वाले के नाम (Narration) के साथ जमा करवाकर असल रसीद प्रस्तुत करनी होगी। उसके पश्चात् नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं। बैंक-बारां नागरिक सहकारी बैंक लिंग बारां, बोली दाता का नाम मय विवरण, खाता मद-विविध देना एवं खाता संख्या-001130901150130, IFSC Code-HDFCOCBNB01
  - नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपरिधि होंगे, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र,फोटो, पेन कार्ड,आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली से पूर्ण रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  - प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/-रु० के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेंगी।
  - नीलामी की अनिम्न बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत राशि 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी,उक्त समयावधि में राशि जमा नहीं होने पर जमा धरोहर राशि जब कर ली जावेगी,जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
  - शेष बकाया नीलामी राशि 07 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेप्ट बारां में उक्त खाता संख्या-001130901150130 में जमा करानी होगी। 07 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
  - यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नहीं करता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड़ सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
  - नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करे।
  - नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  - यदि ऋणी द्वारा नीलामी के सो 30 दिवस में बकाया ऋण राशि,व्याज,वसूली खर्च,एवं अन्य नीलामी से सबधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होता तथा बोली दाता की नीलामी राशि बोली बढ़ती रहेंगी।
  - यदि एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी वित्ती आसितयों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत की जावेगी।
  - यदि एवं अवशिष्ट अचल सम्पत्ति भीतिक/प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा का योग्य विवरण जमा कराना चाहिए।
  - उक्त अचल संपत्ति पर केंद्र/राज्य सरकार/नियर बस स्टेप्ट बारां/नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
  - नीलामी से सबधित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार नियर बस स्टेप्ट बारां कार्यालय को होगा।
  - विशेष जानकारी किसी भी कार्यक्रम में विवरण दिया जायेगा एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः नीलामी बोली दाता को इच्छुक व्यक्ति/सज्जन ग्राउण्ड अधिकारी/वित्ती आसितयों

प्राधिकृत अधिकारी/वित्ती आसितयों

